IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0 एफ.4(7)अपशिष्ट प्रबन्ध/विधि/पंरा/2019/1765 जयपुर, दिनांकः 29-8-2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :– सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 की कियांविति हेतु उपविधियां (Bye-laws) अधिसूचित करवाये जाने बाबत ।
प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 565 दिनांक 24.6.2019 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा तत्समय् विधानसभा का सत्र दिनांक 27 जून, 2019 से आरम्भ होने के कारण ज़िला परिषद की साधारण सभा की विशेष बैठक दिनांक 05.7.2019 को आयोजित नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये थे। वर्तमान में विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की हुई है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ज़िला परिषद की साधारण सभा की विशेष बैठक **दिनांक** 13.9.2019 तक आयोजित कर उपविधियों (Bye-laws) के प्रारूप को इस बैठक में अनुमोदित/पारित करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा अनुमोदित/पारित उपविधियों (Bye-laws) को राजपत्र में **दिनांक 16.9.2019 तक** प्रकाशित करवा कर, विभाग को अवगत करवायें।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचनाओं के प्रकाशन हेतु ई–गजटिंग व्यवस्था लागू की गई है। अतः मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र0 2703 दिनांक 03.6.2019 की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र के अनुसार ज़िला परिषद् के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर, आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि उपरोक्तानुसार जारी अधिसूचना का प्रकाशन राजकीय राजपत्र में निर्धारित समयावधि दिनांक 16.9.2019 तक हो सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0राज, जयपुर।
2. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), राजस्थान, जयपुर ।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
4. एसीपी कम उप निदेशक, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)

राजस्थान सरकार
निदेशालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,

क्रमांक/ 2703 /मुद्रण/4(96)/पार्ट-I ई गजट जयपुर, दिनांक 3/6/19

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.03.2019 के द्वारा असाधारण राजपत्र में अधिसूचनाओं के प्रकाशन हेतु ई–गजटिंग व्यवस्था को लागू किया गया था।

दिनांक 01.04.2019 से असाधारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु ई–गजट व्यवस्था का ऑन–लाईन प्रकाशन प्रारम्भ किया जा चुका है। उक्त व्यवस्था लागू किये जाने से पूर्व मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा समस्त विभागों के प्रतिनिधियों को इस व्यवस्था से भली भांति अवगत कराये जाने हेतु समस्त विभागों को दिनांक 12.03.2019 को ई–गजटिंग व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया था।

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 19.03.2019 एवं राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 14.05.2019 के द्वारा ई–गजटिंग व्यवस्था को 01.04.2019 से अनिवार्यतः लागू किया गया है। 01 अप्रेल, 2019 के उपरांत असाधारण राजपत्र का प्रकाशन ऑफलाईन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

अतः कृपया आपके विभाग द्वारा नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में मेल आई–डी oic.digitization@rajasthan.gov.in एवं विभाग की मेल आई–डी directorpsjaipur@gmail.com पर अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें। जिसके अभाव में आपकी अधिसूचनाओं का गजट में प्रकाशन संभव नहीं होगा।

नोटः– ई–गजटिंग के संबंध में अधिक जानकारी के लिए वैबसाईट ard.rajasthan.gov.in के मैन्यू में ई–गजटिंग शीर्षक में देखें एवं तकनीकी समस्याओं के निदान हेतु निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है :–

1. मेघा पारीक, जूनियर एक्जीक्यूटिव, डीओआईटी– 7597615988
2. निशांत श्रीवास्तव, सलाहकार, डीओआईटी– 8384944491

(हस्ताक्षर)
Sd
यज्ञ मित्र सिंहदेव
IAS
निदेशक

ACP 12/06/19

TODAY

JS-I

12/6/2019.

36Y E/Jagmohan new /Jagmohan Sir New

Scanned by CamScanner